

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

--विविध आदेश--

क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025

कबीरधाम दिनांक-14.05.2025

मैं राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम(छ.ग.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रं.-क्यू/मु.न्या.मजि./2025, कबीरधाम, दिनांक 01-04-2025 में निम्नानुसार संशोधन करती हूँ, जो तत्काल प्रभावशील होगा -

- (1) सरल क्रं.-01 के स्तंभ क्रं.-04 के कंडिका (8) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर " कबीरधाम जिले के समस्त थाना/चौकी/वृत्त क्षेत्र से उत्भूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना" प्रतिस्थापित कर कंडिका (8) के रूप में समाविष्ट किया जाता है।
- (2) खारिजी प्रकरणों की निराकरण के संबंध में सरल क्रं.-02 के स्तंभ क्रं.-04 के कंडिका (7), सरल क्रं.-03 के स्तंभ क्रं.-04 के कंडिका (8), सरल क्रं.-04 के स्तंभ क्रं.-04 के कंडिका (5), सरल क्रं.-05 के स्तंभ क्रं.-04 के कंडिका (6) को विलोपित किया जाता है।
- (3) सरल क्रं.-03 के स्तंभ क्रं.-02 में उल्लेखित प्रविष्टि कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया जिला-कबीरधाम(कवर्धा) को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया जिला-कबीरधाम(कवर्धा) प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (4) संशोधित तालिका क्रं.-01(अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन) में प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया जिला-कबीरधाम को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (5) तालिका क्रं.-02(धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना) में प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया जिला-कबीरधाम को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पण्डरिया, जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।
- (6) तालिका क्रं.-03(एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52-क के तहत इन्वेटरी(विवरणी) प्रमाणित करना) में प्रत्येक स्थान पर उल्लेखित कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पण्डरिया, जिला-कबीरधाम को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर श्री आलोक कुमार अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया जिला-कबीरधाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

स्थान:-कबीरधाम (छ.ग.)



50/—
राजेश्वरी सूर्यवंशी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कबीरधाम छ.ग.